10

10.1 निधियों के स्रोत

10.2 निधियों का उपयोग

10.3 आय और व्यय

10.4 कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नाबार्ड का निवेश

अध्याय 10 के अनुबंध

वित्त के माध्यम से विकास

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार नाबार्ड के तुलन-पत्र का आकार ₹9.8 लाख करोड़ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में उसकी आस्तियों और देयताओं में हुई 8.1% प्रतिशत की सुदृढ़ वृद्धि का परिणाम था. वैश्विक भू-राजनीतिक और व्यापारिक तनावों तथा उससे जुड़ी बाज़ार की अनिश्चितता के बीच, नाबार्ड की विकासात्मक रणनीतियों और सुदृढ़ वित्तीय प्रथाओं ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वित्तीय विकास को प्रभावी ढंग से प्रवाहित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में निरंतर योगदान दिया.

10.1 निधियों के स्रोत

10.1.1 पूँजी, प्रारक्षित निधियाँ और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (एनआरसी) निधियाँ

पिछले पाँच वर्षों में नाबार्ड के तुलन-पत्र का आकार 8.4% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर (सीएजीआर) 50% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021 में ₹6.6 लाख करोड़ से वित्तीय वर्ष 2025 में ₹9.8 लाख करोड़ हो गया है. 31 मार्च 2025 को चुकता पूँजी ₹17,080 करोड़ थी, जबकि अधिकृत शेयर पूँजी ₹30,000 करोड़ है (चित्र 10.1). वित्तीय वर्ष 2025 के अंत में 'पूँजी', 'प्रारक्षित निधियाँ और अधिशेष' सहित स्वाधिकृत निधियाँ ₹80,494 करोड़ थीं, जो कि तुलन-पत्र का 8.2% होता है. राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (एनआरसी) निधियों के तहत ₹16,110 करोड़ की राशि थी. वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान नाबार्ड ने एनआरसी दीर्घावधि परिचालन (एलटीओ) निधि और एनआरसी (स्थिरीकरण) निधि में से प्रत्येक में ₹2 करोड़ का योगदान दिया.

10.1.2 जमाराशियाँ

समय के साथ नाबार्ड ने वाणिज्यिक बैंकों की प्राथमिकता क्षेत्र ऋण वितरण में कमी से आबंटन का लाभ उठाकर लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए चार निधियों का उपयोग किया है. 31 मार्च 2025 की स्थिति में ऐसी निधियों के तहत कुल बकाया राशि ₹2.8 लाख करोड़ थी, जो कि कुल देयताओं का 28% है. इनमें अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि (एसटीसीआरसी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए अल्पावधि निधि, दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि (एलटीआरसीएफ) और ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) शामिल हैं (चित्र 10.1).

वित्तीय वर्ष 2025 में भारत सरकार ने आरआईडीएफ के लिए ₹35,000 करोड़ आबंटित किए. वित्तीय वर्ष के दौरान नाबार्ड ने आरआईडीएफ की जमाराशियों के तहत विभिन्न खेपों में ₹36,818 करोड़ जुटाए और ₹29,020 करोड़ चुकाए. इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण निधि (एफपीएफ) जमाराशियों के तहत ₹150 करोड़ जुटाए और ₹80 करोड़ चुकाए. 31 मार्च 2025 को भांडागार आधारभूत संरचना निधि (डब्ल्यूआईएफ़) के तहत बकाया जमाराशि ₹2,870 करोड़ और एफपीएफ के तहत ₹550 करोड़ थी.

10.1.3 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार उधार

वर्ष के दौरान नाबार्ड द्वारा जुटाई गई कुल राशि ₹4.4 लाख करोड़ थी और कुल बकाया उधार राशि ₹5.8 लाख करोड़ थी. नाबार्ड के कुल उधार पोर्टफोलियो में वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र (सीडी), सावधि ऋण और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर का हिस्सा 91% से अधिक था.

बॉण्ड बाजार में उधार

- वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान नाबार्ड ने ₹72,388 करोड़ के बॉण्ड जारी किए और ₹31,172 करोड़ के बॉण्ड भुनाए गए. इसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान बॉण्ड और डिबेंचर के तहत बकाया राशि 14.4% बढ़ी.
- वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान भारत सरकार की अतिरिक्त बजटीय संसाधन योजना के तहत कोई भी राशि जुटाई नहीं गई, जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार की योजनाओं के लिए जुटाए गए बॉण्ड के समक्ष बकाया राशि पिछले वर्ष की तरह यथावत् रही.

मुद्रा बाजार में उधार

वर्ष के दौरान नाबार्ड ने ₹1,57,500 करोड़ की राशि जुटाने के लिए वाणिज्यिक पत्र जारी किए और वाणिज्यिक बैंकों से ₹1,65,510 करोड़ के सावधि ऋण लिए. वित्तीय वर्ष 2025 में ₹39,835 करोड़ के जमा प्रमाणपत्र जुटाए गए, जिससे 31 मार्च 2025 तक बकाया राशि ₹40,910 करोड़ (अंकित मूल्य) तक पहुँच गई.

निवेश पोर्टफोलियो

निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड अधिशेष राशि को विभिन्न लिखतों में नियोजित कर निवेश परिचालन करता है. नाबार्ड के प्रमुख निवेश पोर्टफोलियो में सरकारी प्रतिभूतियाँ, ट्रेजरी बिल, अल्पावधि जमाराशियाँ (एसटीडी), म्यूचुअल फंड और ऋण जमाराशियाँ शामिल हैं. 31 मार्च 2025 की स्थिति में इन विभिन्न लिखतों में नाबार्ड का निवेश ₹1,20,414 करोड़ था. दिनांक 31 मार्च 2025 को बकाया देयताओं की संरचना चित्र 10.1 में दी गई है.

चित्र 10.1: निधियों के स्रोत (राशि ₹ करोड़ में)

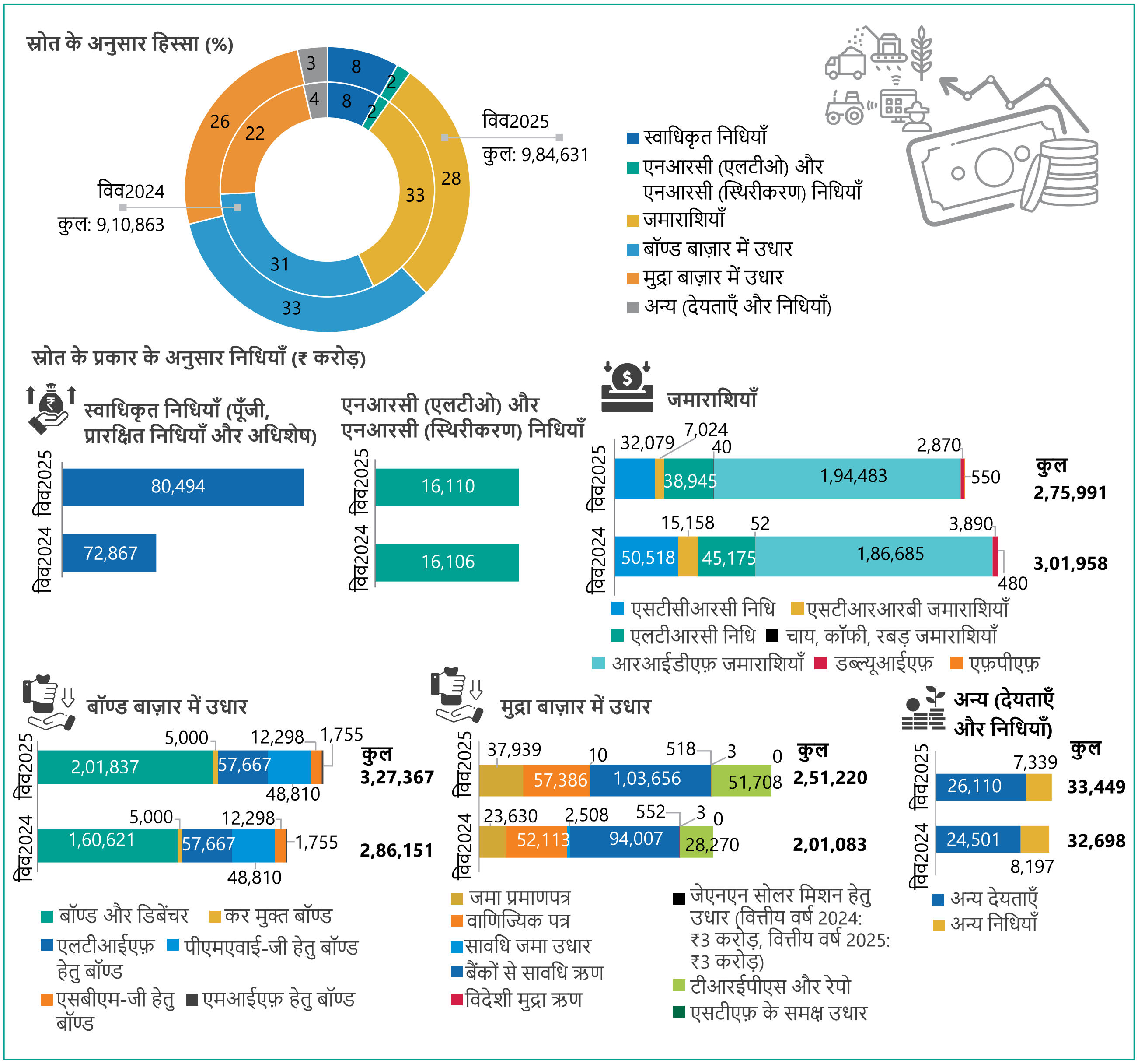

एफ़पीएफ़ = खाद्य प्रसंस्करण निधि, जेएनएन सोलर मिशन = जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन, एलटीआईएफ़ = दीर्घावधि सिंचाई निधि, एलटीओ = दीर्घावधि परिचालन, एलटीआरसी = दीर्घावधि ग्रामीण ऋण, एमआईएफ़ = सूक्ष्म सिंचाई निधि, एनआरसी = राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण, पीएमएवाई-जी = प्रधान मंत्री आवास योजना—ग्रामीण, आरआईडीएफ़ = ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि, एसबीएम-जी = स्वच्छ भारत मिशन—ग्रामीण, एसएलएफ़ = विशेष चलनिधि सुविधा, एसटीसीआरसी = अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण, एसटीडी = अल्पावधि जमाराशि, एसटीआरआरबी = अल्पावधि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, टीआरईपीएस = ट्राई-पार्टी रेपो डीलिंग एंड सेटलमेंट, डब्ल्यूआईएफ़ = भांडागार आधारभूत संरचना निधि.

10.2 निधियों का उपयोग

वित्तीय वर्ष 2025 में नाबार्ड ने विकास के अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए निधियाँ जुटाईं. इनमें ग्रामीण उत्पादन और निवेश के लिए आधार स्तरीय ऋण (जीएलसी) में 8.1% प्रतिशत की करना, आधारभूत संरचना का विकास करना, सामाजिक क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना, नकदी और निवेश का प्रबंधन करना और अचल आस्तियों का निर्माण करना शामिल है (चित्र 10.2).

चित्र 10.2: निधियों का उपयोग (राशि ₹ करोड़ में)

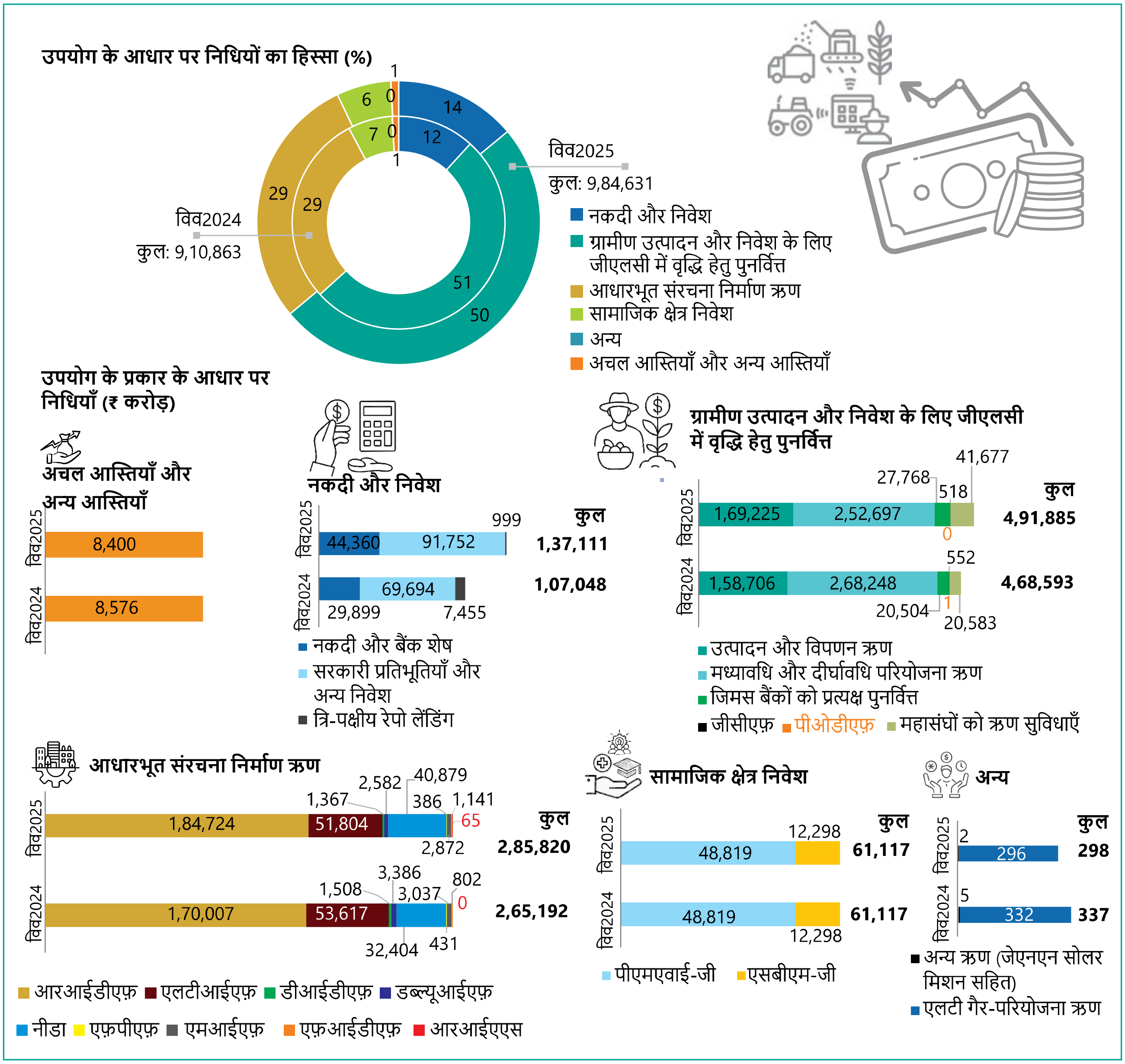

डीसीसीबी = जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, डीआईडीएफ = डेयरी प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना विकास निधि, एफआईडीएफ = मत्स्यपालन और जलचर पालन आधारभूत संरचना विकास निधि, एफपीएफ = खाद्य प्रसंस्करण निधि, जीसीएफ = हरित जलवायु निधि, जीएलसी = आधार स्तरीय ऋण, जेएनएन सोलर मिशन = जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन, एलटी = दीर्घावधि, एलटीआईएफ = दीर्घावधि सिंचाई निधि, एमआईएफ = सूक्ष्म सिंचाई निधि, एमटी = मध्यावधि, नीडा = नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता, पीएमएवाई-जी = प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण, पीओडीएफ = उत्पादक संगठन विकास निधि, आरआईडीएफ = ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि, आरआईएएस = राज्य सरकार हेतु ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि, एसबीएम-जी = स्वच्छ भारत मिशन—ग्रामीण, डब्ल्यूआईएफ = भांडागार आधारभूत संरचना विकास निधि.

नोट: मध्यावधि और दीर्घावधि परियोजना ऋणों में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के विशेष विकास डिबेंचरों में अभिदान की गई राशि शामिल है, जो अग्रिम के रूप में मानी गई है.

नाबार्ड, किसानों के लिए जीएलसी को बढ़ावा देने, अल्पावधि मौसमी कृषि परिचालनों और विभिन्न कृषि गतिविधियों के लिए पूँजी निवेश को सहयोग प्रदान करने हेतु ग्रामीण वित्तीय संस्थानों को ऋण और अग्रिम प्रदान करता है. बुनकरों और कारीगरों हेतु कार्यशील पूँजी ऋण, विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं के तहत विपणन सहायता और बाज़ार जोखिमों के दौरान अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित करने के लिए पुनर्वित्त विकल्प उपलब्ध हैं.

इसके अलावा, नाबार्ड, राज्य सरकारों और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों सहित विभिन्न संस्थाओं को आधारभूत संरचना के विकास, सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं, गोदाम और खाद्य प्रसंस्करण के लिए ऋण प्रदान करता है. यह जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की शेयर पूँजी में योगदान करने के लिए राज्य सरकारों को प्रत्यक्ष ऋण भी देता है. निधियों का उपयोग नकदी और निवेश प्रबंधन तथा व्यावसायिक परिचालनों के लिए अचल आस्तियों के निर्माण हेतु किया जाता है.

चित्र 10.3 31 मार्च 2025 तक नाबार्ड द्वारा दिए गए विभिन्न ऋणों और अग्रिमों में निधियों के नियोजन और वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि पर प्रकाश डालता है.

चित्र 10.3: पुनर्वित्त के माध्यम से आधार स्तरीय ऋण का सुदृढ़ीकरण: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार

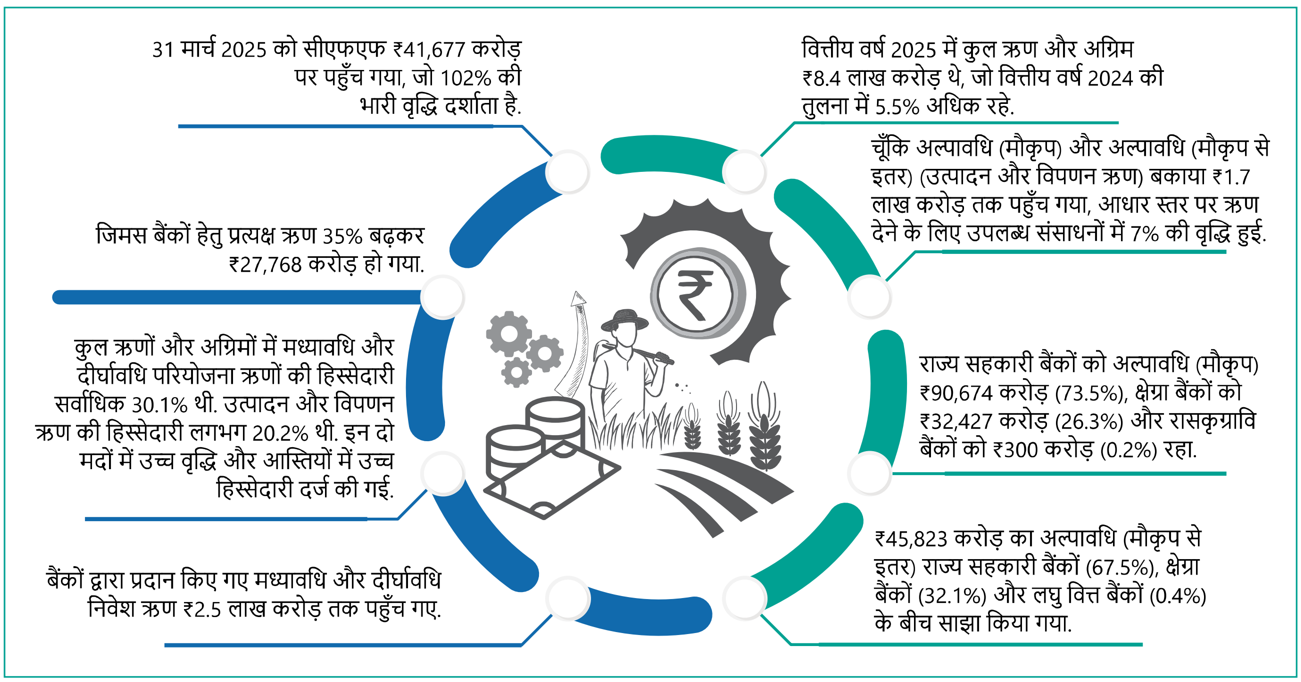

सीएफएफ = महासंघों को ऋण सुविधा, जिमस बैंक = जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, क्षेग्रा बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मौकृप = मौसमी कृषि परिचालन.

नोट: दर्शाई गई राशियाँ बकाया आँकड़े हैं.

चित्र 10.4: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार आधारभूत संरचना वित्तपोषण

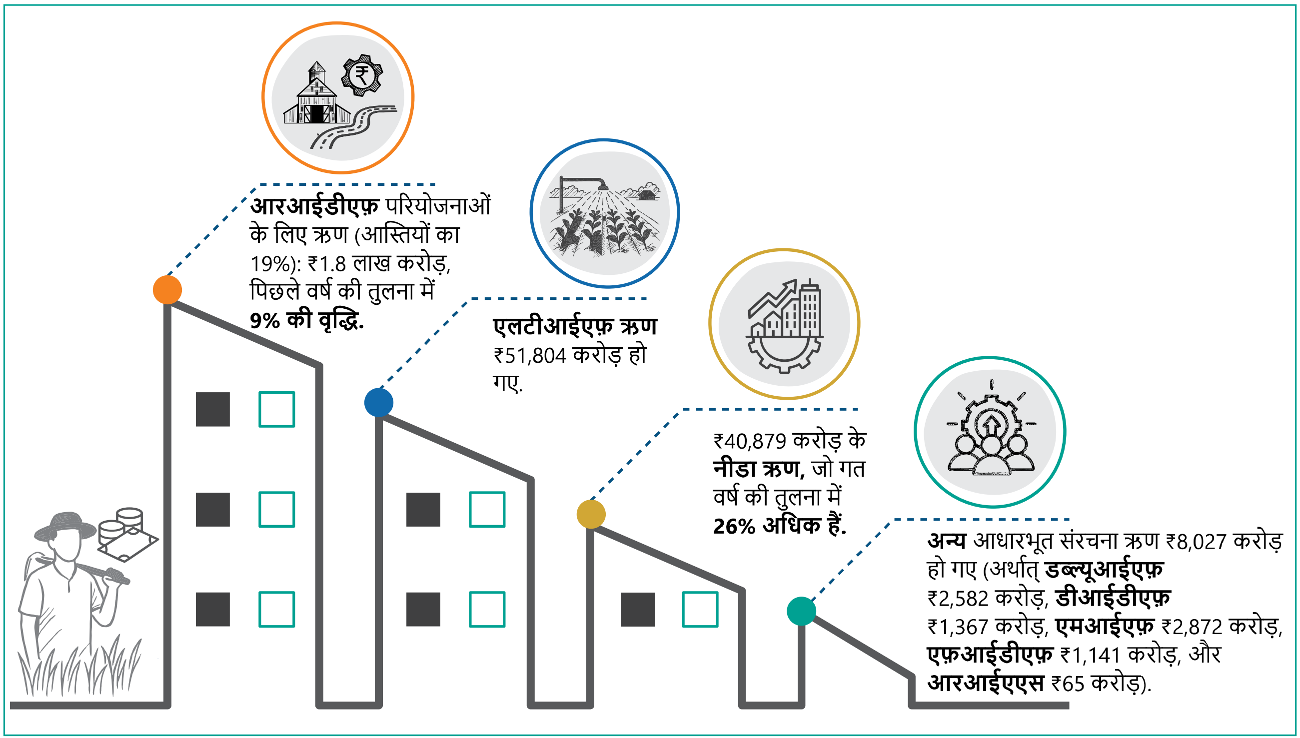

डीआईडीएफ = डेयरी प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना विकास निधि, एफआईडीएफ = मत्स्यपालन और जलचर पालन आधारभूत संरचना विकास निधि, एलटीआईएफ = दीर्घावधि सिंचाई निधि, एमआईएफ = सूक्ष्म सिंचाई निधि, नीडा = नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता, आरआईडीएफ = ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि, आरआईएएस = राज्य सरकार हेतु ग्रामीण आधारभूत संरचना सहायता, डब्ल्यूआईएफ = भांडागार आधारभूत संरचना निधि

नोट: दर्शाई गई राशियाँ बकाया आँकड़े हैं.

चित्र 10.5: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार सामाजिक क्षेत्र निवेश

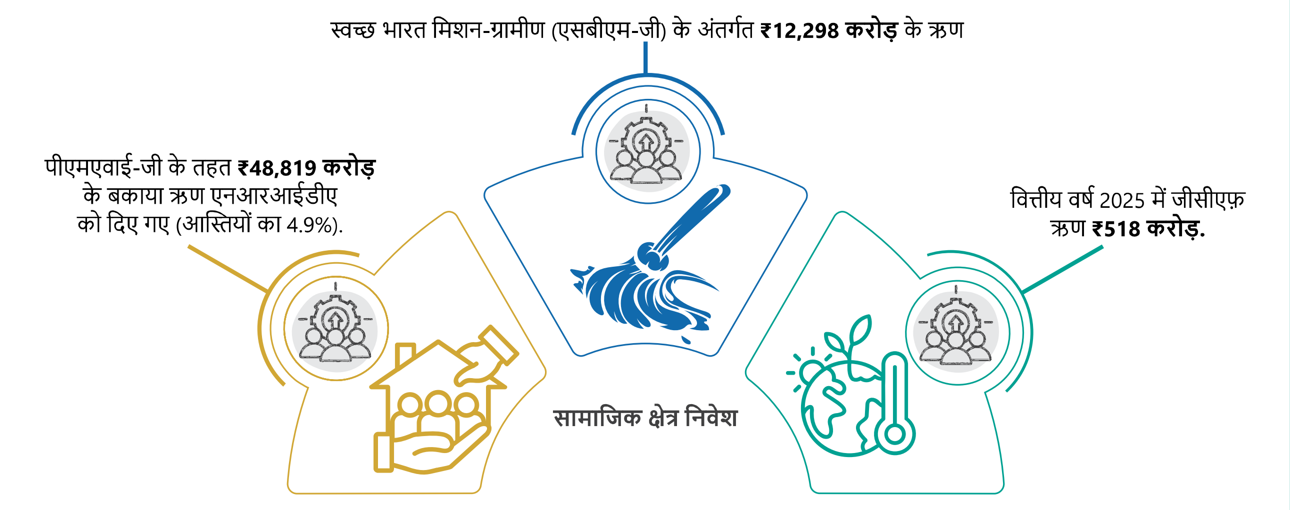

एनआरआईडीए = राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, पीएमएवाई-जी = प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण, एसबीएम-जी=स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण.

नोट: दर्शाई गई राशियाँ बकाया आँकड़े हैं.

चित्र 10.6: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार अधिशेष निधियों का निवेश

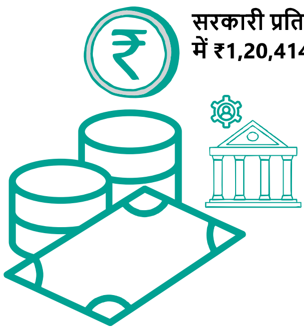

सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिलों, अल्पावधि जमाराशियों, म्यूचुअल फंडों और जमा प्रमाणपत्रों में ₹1,20,414 करोड़ की अधिशेष राशि नियोजित की गई, जो तुलन-पत्र का 12.2% है.

72% राशि सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय लिखतों में नियोजित की गई.

चलनिधि और आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए **₹33,353 करोड़** की राशि अल्पावधि बैंक जमा के रूप में रखी गई .

नोट: दर्शाई गई राशियाँ बकाया आँकड़े हैं.

10.3 आय और व्यय

नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान ₹58,424 करोड़ की आय अर्जित की, जो कि वित्तीय वर्ष 2024 की आय से 19.6% अधिक है (चित्र 10.7). वित्तीय वर्ष 2024 के ₹8,068 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025 में नाबार्ड का कर-पूर्व लाभ ₹10,155 करोड़ रहा, और वित्तीय वर्ष 2024 के ₹6,103 करोड़ की तुलना में कर-पश्चात् लाभ ₹7,628 करोड़ रहा. नाबार्ड ने निवल अधिशेष को अनुसंधान एवं विकास निधि, प्रारक्षित निधि, एनआरसी (एलटीओ) निधि, और एनआरसी (स्थिरीकरण) निधि सहित अपनी विभिन्न निधियों में स्थानांतरित करके विनियोजित किया है.

चित्र 10.7: आय विश्लेषण

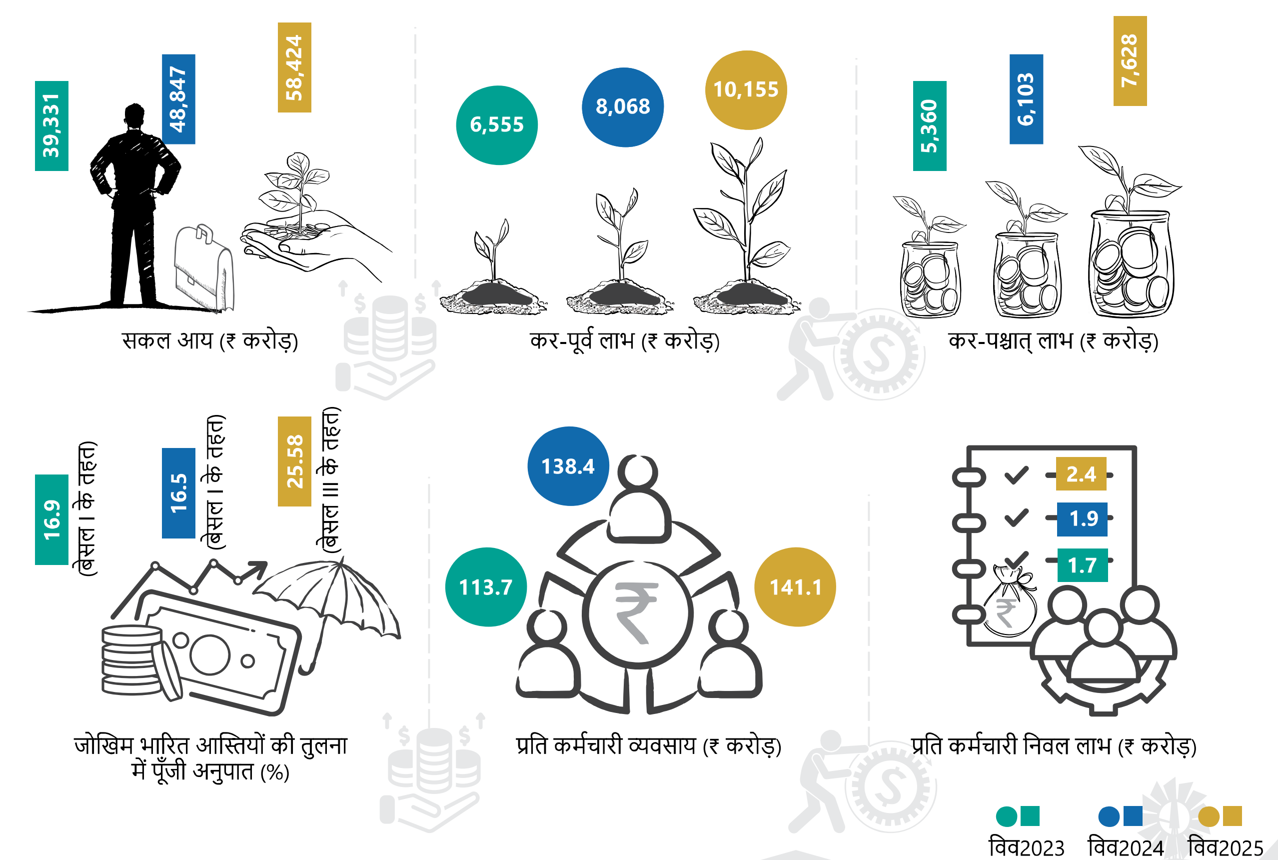

10.4 कृषि और ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र में नाबार्ड का निवेश

10.4.1 बेसल III मानदंडों का कार्यान्वयन

21 सितंबर 2023 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2024 से बेसल III पूँजी संरचना नाबार्ड सहित प्रत्येक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान पर लागू होगी. नाबार्ड ने इसकी आवश्यकता का अनुपालन किया है.

10.4.2 नाबार्ड की सहायक कंपनियो में निवेश

नाबार्ड अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी), संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण, परामर्श, गारंटी और उद्यम पूँजी प्रदान करके उन्हें वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है.

31 मार्च 2025 की स्थिति में नाबार्ड की सहायक कंपनियों की शेयर पूँजी में कुल निवेश ₹649.6 करोड़ था (चित्र 10.8). वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान नाबार्ड ने नैबवेंचर्स और नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (नैबकॉन्स) की अतिरिक्त शेयर पूँजी में क्रमशः ₹25 करोड़ और 20 करोड़ का अंशदान किया. वित्तीय वर्ष 2025 में नाबार्ड को नैबकिसान फाइनेंस लिमिटेड से ₹3 करोड़, नैबसमृद्धि से ₹2.3 करोड़, नैबफिन्स से ₹10.2 करोड़ और नैबकॉन्स से ₹0.1 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ.

चित्र 10.8: नाबार्ड की सहायक कंपनियों में शेयरधारिता (₹ करोड़ में)

	NABCONS	nabfins	Nabkisan Finance Ltd.	NABSAMRUDDHI	NABVENTURES	NABFOUNDATION	NAB संरक्षण
स्थापना का वर्ष	2003	1997	1997	1997	2018	2019	2020
शेयर पूँजी	25.0	161.7	171.5	123.8	50.0	50.0	50.0
नाबार्ड की शेयरधारिता (%)	100.0	63.1	87.8	91.1	100.0	100.0	100.0
नाबार्ड द्वारा निवेश	25.0	102.0	227.6	145.1	50.0	50.0	50.0
लाभांश	0.1	10.2	3.0	2.3	–	–	–

नोट: नैबकिसान और नैबसमृद्धि के आँकड़ों में प्रीमियम शामिल है.

10.4.3 रणनीतिक निवेश और प्रतिलाभ

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान नाबार्ड ने ऑनलाइन पीएसबी लोन्स लिमिटेड (ओपीएल) नामक एक अग्रणी डिजिटल ऋण आधारभूत संरचना कंपनी में ₹56.8 करोड़ का रणनीतिक निवेश किया. इस निवेश का उद्देश्य ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र के तहत निर्बाध ऋण वितरण और वित्तीय समावेशन के संवर्धन हेतु डिजिटल नवोन्मेष को बढ़ावा देना है.

इसके अलावा नाबार्ड ने ई-किसान क्रेडिट (ईकेसीसी) पहल - एक पूरी तरह से डिजिटाइज़्ड लोन ओरिजिनेशन प्लैटफ़ार्म जो भूमि रिकॉर्ड, आधार, ईकेवाईसी, कोर बैंकिंग सिस्टम और ईपीएसीएस को एकीकृत करता है - को सहयोग प्रदान करने के लिए 24X7 मनीवर्क्स कंसल्टिंग में ₹3.84 करोड़ का निवेश किया. यह प्लेटफॉर्म ऋण प्रक्रिया के आदि से अंत तक स्वचालन को सक्षम बनाता है.

31 मार्च 2025 तक नाबार्ड ने कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में सक्रिय 12 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कंपनियों में ₹1,166.8 करोड़ का निवेश किया (तालिका 10.1). इनमें से पाँच निवेशित कंपनियों से कंपनी को कुल ₹26.4 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ.

तालिका 10.1: नाबार्ड के रणनीतिक निवेश और प्रतिलाभ

क्रम. सं.	कंपनी	निवेश का वर्ष	नाबार्ड का निवेश (₹ करोड़)	हिस्सा (%)	लाभांश (₹ करोड़)
1	एएफ़सी इंडिया लिमिटेड	वित्तीय वर्ष 2000	1.0	6.7	
2	भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमि.	वित्तीय वर्ष2004	60.0	30.0	15.0
3	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक.*	वित्तीय वर्ष 2003 और वित्तीय वर्ष 2018	966.3	9.4	10.6
4	नेशनल कमोडिटी एण्ड डेरिवेटिव्स एक्स्चेंज लिमिटेड*	वित्तीय वर्ष2004	16.9	11.1	
5	मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	वित्तीय वर्ष 2006	0.3	0.7	0.3
6	सीएससी ई-गवर्नेन्स सर्विसेज इंडिया लिमिटेड*	वित्तीय वर्ष 2016	9.8	9.4	0.3
7	नेशनल ई- गवर्नेन्स सर्विसेज इंडिया लिमिटेड	वित्तीय वर्ष 2017	1.5	2.0	0.2
8	एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया	वित्तीय वर्ष 2017	0.0	4.0	
9	नेशनल ई-रिपोजिटरी लिमिटेड	वित्तीय वर्ष 2018	10.5	13.0	
10	ओपेन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स	वित्तीय वर्ष 2022 और वित्तीय वर्ष 2024	40.0	4.9	
11	ऑनलाइन पीएसबी लोन्स लिमिटेड	वित्तीय वर्ष 2025	56.8	7.3	
12	24X7 मनीवर्क्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	वित्तीय वर्ष 2025	3.8	10	
कुल			1,166.8		26.4

* आँकड़ों में प्रीमियम शामिल है.
नोट: पूर्णांकन के कारण घटकों का योग, कुल से भिन्न नहीं हो सकता है.

10.4.4 वैकल्पिक निवेश निधियों में निवेश

नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित मौजूदा या उभरती गतिविधियों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधियों में निवेश करता है. इसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी नवोन्मेष और प्रसार को सहयोग प्रदान करते हुए आय-उत्पादक, संधारणीय व्यवसाय मॉडल के निर्माण हेतु सुविधा प्रदान करना है जिसे ग्रामीण उद्यमियों द्वारा अपनाया जा सके.

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मिलकर नाबार्ड ने कृषि और ग्रामीण स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के तहत नवोन्मेषी, प्रौद्योगिकी-संचालित, उच्च-जोखिम और उच्च-प्रभाव वाली पहलों को सहयोग प्रदान करने के लिए एग्री-श्योर निधि की स्थापना की है. इस निधि का प्रबंधन नाबार्ड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नैबवेंचर्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है.

वित्तीय वर्ष 2025 में नाबार्ड ने एग्री-श्योर ग्रीनाथॉन 2024 का भी आयोजन किया, जो किफायती स्मार्ट कृषि, लाभदायक कृषि-अपशिष्ट प्रबंधन और पुनरुत्पादक कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता जैसी प्रमुख चुनौतियों पर केंद्रित एक हैकाथॉन है.

31 मार्च 2025 तक 36 निधियों में नाबार्ड की कुल प्रतिबद्धता ₹1,069 करोड़ थी, जबकि दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार 31 निधियों में यह प्रतिबद्धता ₹729 करोड़ की थी. वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान नाबार्ड ने पाँच नई निधियों को ₹340 करोड़ देने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है. संचयी संवितरण ₹666.4 करोड़ रहा. वर्ष के दौरान इन निधियों ने कुल ₹163.1 करोड़ की राशि आहरित की, और ₹17.2 करोड़ की पूँजी वापस की. नाबार्ड को ₹13.8 करोड़ का पूँजीगत लाभ प्राप्त हुआ तथा लाभांश सहित ₹5.4 करोड़ की अतिरिक्त आय अर्जित की गई.

अध्याय 10 के अनुबंध:
वित्तीय वर्ष 2025 में नाबार्ड की सहायक संस्थाओं का कार्यनिष्पादन

नैबफिन्स

वित्तीय वर्ष 2025 में, नैबफिन्स लिमिटेड ने ₹3,082 करोड़ का संवितरण करते हुए उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन दर्ज किया, जो पिछले वर्ष (वित्तीय वर्ष 2024) की तुलना में 13% की वृद्धि दर दर्शाता है. 31 मार्च 2025 की स्थिति में तुलन-पत्र का आकार ₹3,839 करोड़ और बकाया ऋण ₹3,591 करोड़ रहा. वित्तीय वर्ष 2025 के लिए कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) ₹90.9 करोड़, और कर-पश्चात् लाभ ₹69.1 करोड़ रहा. नैबफिन्स ने वित्तीय वर्ष के अंत तक 12.3 लाख से अधिक सक्रिय उधारकर्ताओं की संख्या बनाए रखी जबकि सकल अनर्जक आस्तियाँ (जीएनपीए) 5.4% रहीं.

वित्तीय वर्ष 2025 के अंत तक नैबफिन्स 498 शाखाओं के माध्यम से कार्य किया. इसकी भौगोलिक उपस्थिति में उल्लेखनीय विस्तार हुआ, जो 18 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र तक फैली हुई थी, और कंपनी ने 98 बिजनेस कॉरेस्पोंडेट के साथ सहयोग किया. वर्ष के दौरान स्थापित नई शाखाओं ने 8 आकांक्षी जिलों और 13 ऋण की कमी वाले जिलों तक सेवाएँ प्रदान कीं, जिससे वंचित आबादी तक पहुँच बढ़ी. अपनी स्थापना के बाद से नैबफिन्स ने 30 लाख से अधिक परिवारों को सेवा प्रदान की है और ₹16,473 करोड़ से अधिक के सूक्ष्म ऋण वितरण की सुविधा प्रदान की है - जो सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थानों के बीच सबसे कम ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है.

नैबफिन्स दो प्राथमिक व्यवसाय मॉडल - बिजनेस एण्ड डेव्लपमेंट कॉरेस्पोंडेंट मॉडल तथा प्रत्यक्ष ऋण मॉडल - के माध्यम से कार्य करता है. इसके अतिरिक्त संस्थागत ऋण मॉडल के तहत नैबफिन्स सूक्ष्मवित्त उधारकर्ताओं को सेवा प्रदान करने वाली अन्य संस्थाओं को सहायता देने हेतु थोक ऋण प्रदान करता है.

वस्त्रोद्योग में महिला उद्यमी को नैबफिन्स का सहयोग - सपनों को साकार करने में सहायता

वित्तीय वर्ष 2025 में नैबफिन्स की प्रमुख पहलें नीचे दी गई है.

- **प्रशिक्षण कार्यक्रम**: ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) और याली इन्फोवेंचर्स के सहयोग से नैबफिन्स ने महिला उधारकर्ताओं को जूट बैग बनाने और डेयरी-संबंधी गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया.
- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)**: नैबफिन्स ने कम आय वाले परिवारों और किसानों को सहयोग प्रदान करने के लिए कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में प्रशिक्षण-सह-कृषि प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना के लिए ₹2.2 करोड़ की मंजूरी दी.
- **जलवायु नीति क्षमता निर्माण**: नैबफिन्स ने कर्मचारियों को जलवायु नीति पहल से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन किया.

नैबकिसान

नैबकिसान फाइनेंस लिमिटेड (नैबकिसान) ने सामान्यतः स्वीकृत भारतीय लेखांकन सिद्धांत [आईजीएएपी] के अनुसार अपने तुलन-पत्र का आकार ₹3,273 करोड़ रिपोर्ट किया, जो वर्ष-दर-वर्ष 18% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है. सकल ऋण बही में बकाया राशि ₹3,068 करोड़ थी, जो लगभग 19% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाती है.

31 मार्च 2025 तक नैबकिसान ने कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को ₹1,000 करोड़ के 4,100 से अधिक ऋण मंजूर किए हैं. संचयी रूप से नैबकिसान के सहयोग से 21 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों के 20 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं.

कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ़) के तहत नैबकिसान ने 116 कृषक उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) को संचयी रूप से ₹17.9 करोड़ के ऋण मंजूर किए हैं. वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान नैबकिसान ने अपनी सीएसआर पहल के तहत ₹1.3 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ दो सामाजिक रूप से प्रासंगिक परियोजनाओं को सहायता दी. तमिलनाडु सरकार की तीन एफपीसी वित्तपोषण योजनाओं के कार्यान्वयन भागीदार के रूप में नैबकिसान ने वर्ष के दौरान 291 एफपीसी को ₹20.3 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की.

इसके अतिरिक्त नैबकिसान, कृषक उत्पादक संगठनों हेतु ओडिशा ऋण गारंटी योजना के कार्यान्वयन भागीदार के रूप में कार्य करता है. इस योजना के तहत नैबकिसान ने संचयी रूप से 213 एफपीओ को ₹12 करोड़ की राशि के ऋण गारंटी कवरेज प्रदान किए हैं.

वित्तीय वर्ष 2025 में ऋण गारंटी सहायता प्रदान करने हेतु नैबकिसान ने राबो फाउंडेशन के साथ साझेदारी की ताकि यह फाउंडेशन कृषि कंपनियों और स्टार्टअप्स को ऋण प्रदान कर सके. इस कारण कंपनी 11 स्टार्टअप्स को ₹16.5 करोड़ की राशि का ऋण दे पाई - जो इस क्षेत्र के लिए नैबकिसान द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा ऋण है.

एफपीओ वित्तपोषण के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना के तहत - जिसका प्रबंधन नैबसंरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाता है - ऋण देने वाली एक पात्र संस्था के रूप में नैबकिसान ने वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान 872 एफपीसी को ₹168.9 करोड़ की ऋण गारंटी प्रदान की.

नैबकॉन्स

नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (नैबकॉन्स) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था है और आईएसओ 9001:2015 और आईएसओ/ आईईसी 27001:2022 प्रमाणन के साथ एक प्रतिष्ठित परामर्श संगठन (कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन) है. यह संस्था 100% नाबार्ड के स्वामित्व में है, इसकी अधिकृत और चुकता पूँजी ₹25 करोड़ है.

यह परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी), अनुप्रवर्तन और मूल्यांकन, व्यवहार्यता और तकनीकी-वित्तीय अध्ययन, प्रभाव आकलन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को तैयार करने, नीति निर्माण, नैदानिक अध्ययन और आईटी-सक्षम सर्वेक्षणों के लिए आद्योपांत परामर्श सेवाएँ प्रदान करता है. नैबकॉन्स कृषि और अनुषंगी गतिविधियों, जल संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, सामाजिक-आर्थिक

विकास, खाद्य प्रसंस्करण और भंडारण, बैंकिंग और वित्त, कौशल और आजीविका, सिविल इंजीनियरिंग, अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा सूचना प्रौद्योगिकी सहित विविध क्षेत्रों में कार्य करता है.

इसने भारत सरकार के कई मंत्रालयों, राज्य सरकारों, वैधानिक निकायों, निगमों, संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी स्थापित की है. नैबकॉन्स ने व्यापक आद्योपांत परामर्श सेवाएँ प्रदान करने का एक सुदृढ़ ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है.

वित्तीय वर्ष 2025 नैबकॉन्स के लिए विशिष्ट उपलब्धियों वाला वर्ष रहा. कंपनी ने ₹247 करोड़ का अब तक का सर्वाधिक राजस्व अर्जित किया. तुलन-पत्र का आकार 25% बढ़ा, जो वित्तीय वर्ष 2024 में ₹201 करोड़ बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025 में ₹253 करोड़ हो गया. वर्ष के दौरान नैबकॉन्स ने ₹316 करोड़ का नया व्यवसाय प्राप्त किया और कार्यों से आय ₹238 करोड़ तक पहुँच गई.

केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए अधिमानी कंसल्टिंग भागीदार के रूप में नैबकॉन्स जल जीवन मिशन (जेजेएम), अटल भूजल योजना, एआईएफ़, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएमएफएमई) जैसे प्रमुख कार्यक्रमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह संगठन नई सरकारी पहलों को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है.

वित्तीय वर्ष 2025 में नैबकॉन्स को विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत से लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई (एलएसी) देशों को लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) मशीनरी की आपूर्ति के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में नियुक्त किया गया था. इस कार्य में भागीदार देशों में एसएमई विकास के लिए व्यवहार्य और संधारणीय परियोजनाओं की पहचान करना शामिल है, और इससे नैबकॉन्स के लिए एलएसी तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नए अवसर खुलने की अपेक्षा है.

वित्तीय वर्ष 2025 में नैबकॉन्स ने विषयगत और भौगोलिक क्षेत्रों की विस्तृत शृंखला में कई उल्लेखनीय कार्य प्राप्त किए, जो नीचे दिए गए हैं:

- प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) के कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) को कार्मिक उपलब्ध कराने हेतु पीएमसी.
- चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद जिलों में जाखम से जयसमंद और बडंगाँव बाँधों में अधिशेष जल के विपथन के लिए डीपीआर तैयार करना.
- मांड्या जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक समिति संघ लिमिटेड में सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर मॉडल पर ईआरपी सॉफ्टवेयर के साथ क्लाउड-आधारित डेयरी डिजिटलीकरण (वर्ष के दौरान दो बार सहभागिता).
- विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एलएसी देशों को भारत से एसएमई मशीनरी की आपूर्ति के लिए पीआईए (बॉक्स अ10.1).
- कवर न की गई पंचायतों में नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, डेयरी और मत्स्यपालन समितियों की स्थापना के लिए पीएमयू सहयोग.
- लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार के अधिकार क्षेत्र में राजस्थान में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत कार्यों के लिए तृतीय पक्ष की निरीक्षण संस्था.
- कर्नाटक में जेजेएम के तहत, और महाराष्ट्र की विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की तैयारी, अनुप्रवर्तन, पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए पीएमसी सेवाएँ.
- नीति आयोग के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) का मूल्यांकन.
- तेलंगाणा, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में जनजातीय विकास निधि (टीडीएफ) के तहत; तथा गोवा राज्य जैव विविधता बोर्ड और बागवानी विभाग, कर्नाटक सरकार के साथ साझेदारी में गोवा में कार्बन क्रेडिट फ्रेमवर्क (सीसीएफ) परियोजना का कार्यान्वयन.
- केरल सरकार के कृषि विकास निदेशालय और किसान कल्याण विभाग के लिए 'एकीकृत कृषि डेटा हब और डिजिटल किसान सेवा मंच' का विकास.
- अमृत 2.0 के तहत पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी नगर निगम की जलापूर्ति योजना के तहत वितरण नेटवर्क और घर सेवा कनेक्शन के लिए डीपीआर तैयार करना.

- बिहार में बिहार राज्य दुग्ध सहकारी महासंघ लिमिटेड के संघों और इकाइयों में एसएएएस मॉडल पर डेयरी प्राप्य मंच का कार्यान्वयन.
- भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय हेतु दस केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी वाले राज्यों में डीडीयू-जीकेवाई के लिए तकनीकी सहायता एजेंसी.

बॉक्स अ10.1: लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों में लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र विकास परियोजना

अप्रैल 2023 में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कैरेबियाई समुदाय (कैरीकॉम) के सदस्य देशों में लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) क्षेत्र के विकास के लिए $1 मिलियन तक के अनुदान की घोषणा की. इस पहल के तहत भारत सरकार इन देशों में एसएमई को सहयोग और सुदृढ़ता देने के लिए संयंत्र और मशीनरी की आपूर्ति करेगी.

नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (नैबकॉन्स) को 10 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई (एलएसी) देशों में एसएमई विकास पहल को लागू करने का कार्य सौंपा गया है, जिसमें सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो आदि शामिल हैं. इस भागीदारी के तहत नैबकॉन्स ने सात देशों का दौरा किया, हितधारकों के साथ परामर्श किया और पाँच देशों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की. परियोजना का अनुमानित मूल्य ₹80 करोड़ है.

नैबकॉन्स भारतीय आपूर्तिकर्ताओं की पहचान में भी सहायता करेगा और परियोजना की कमीशनिंग की देखरेख करेगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारत द्वारा निर्मित मशीनरी का संवर्धन होगा.

परियोजना उद्देश्य: संयंत्र और मशीनरी की आपूर्ति, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से एसएमई को सुदृढ़ करना.

कार्यान्वयन के चरण:

- परियोजना विकास: हितधारकों के परामर्श से व्यवहार्यता अध्ययन आयोजित करना.
- परियोजना कार्यान्वयन: भारतीय आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करना तथा मशीनरी की समय पर आपूर्ति और स्थापना सुनिश्चित करना.
- परियोजना अनुप्रवर्तन: तिमाही अनुप्रवर्तन और रिपोर्टिंग के साथ-साथ प्रशिक्षण और अनुरक्षण सहायता प्रदान करना.

बाएँ से दाएँ: श्री सदागोपाचारी रामजी (कार्यवाहक राजदूत, भारतीय दूतावास, सूरीनाम), डॉ. हरगोपाल यांड्रा (प्रबंध निदेशक, नैबकॉन्स), श्री अल्बर्ट रामदीन (विदेशमंत्री, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्री, सूरीनाम गणराज्य सरकार), श्री परमानंद सेवडियन (कृषि, पशुपालन और मत्स्यपालन मंत्री, सूरीनाम गणराज्य सरकार), और श्री भूषण गोयल (सलाहकार, नैबकॉन्स).

नैबसमृद्धि

नैबसमृद्धि फाइनेंस लिमिटेड (एनएसएफ़एल) ने वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त कीं, जिनमें आस्ति आकार का ₹2,100 करोड़ से अधिक हो जाना और प्रबंधन के तहत आस्तियों (एयूएम) का आकार ₹2,000 करोड़ के पार जाना महत्वपूर्ण है, जो क्रमशः 17% और 14% की वृद्धि दर दर्शाता है.

कंपनी ने 32 से अधिक भागीदारों के माध्यम से जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य (वॉश) ऋणों में संचयी रूप से लगभग ₹450 करोड़ संवितरित किए हैं, जिससे लगभग 75,000 उधारकर्ताओं को लाभ हुआ है. 31 मार्च 2025 तक एनएसएफ़एल ने एनबीएफ़सी, आवास वित्त कंपनियों (एचएफ़सी), एनबीएफ़सी-एमएफ़आई और अन्य संस्थागत ग्राहकों के सहयोग से 25 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों में 3.5 लाख से अधिक अंतिम लाभार्थियों तक पहुँच बनाई है.

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान एनएसएफ़एल द्वारा की गई प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **क्लाइमेट-रेडी वॉश कार्यक्रम**: नाबार्ड के सहयोग से एनएसएफ़एल ने अपने साझेदार ट्रस्ट ऑफ पीपल के ग्रामीण उधारकर्ताओं के लिए 42 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए.
- **कार्यशालाएँ**: सा-धन के सहयोग से नई दिल्ली, कोलकाता और बंगलूरू में घरेलू स्तर पर क्लाइमेट-रेडी वॉश सोल्यूशंस पर तीन कार्यशालाओं का आयोजन किया.
- **सहभागिता**: भारत स्वच्छता सम्मेलन, सा-धन राष्ट्रीय सम्मेलन, water.org द्वारा जल ऋण फोरम, तथा हरित वित्त और वॉश वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इंक्लूसिव फाइनेंस समिट जैसे मंचों में सक्रिय रूप से भाग लिया.

अपनी सीएसआर पहल के तहत एनएसएफ़एल ने नैबफाउंडेशन को निम्नलिखित गतिविधियों हेतु ₹1 करोड़ मंजूर किए:

- जैसलमेर, राजस्थान में वर्षाजल संचयन के माध्यम से संधारणीय जल सुरक्षा का संवर्धन.
- कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में प्रशिक्षण-सह-कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना.

वर्ष के दौरान एनएसएफ़एल को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें शामिल हैं:

- क्लाइमेट-रेडी वॉश वित्तपोषण कार्यक्रम के लिए वॉश हेतु सर्वश्रेष्ठ नवोन्मेषी वित्तीय सुलभता मॉडल: प्रभाव, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम निवेशक श्रेणी के तहत आईएससी-एफ़आईसीसीआई स्वच्छता पुरस्कार.
- डबल्यूएटीएसएएन या वाटसन (जल और स्वच्छता) ऋण वितरण में उत्कृष्ट योगदान हेतु सा-धन water.org अवार्ड 2024.
- सर्वश्रेष्ठ महिला-हितैषी वित्तीय संस्थान के लिए ईलाबेन मेमोरियल पुरस्कार.

नैबवेंचर्स

नैबवेंचर्स लिमिटेड नाबार्ड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था है जो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र पर केंद्रित वैकल्पिक निवेश निधियों के लिए निवेश प्रबंधक के रूप में कार्य करती है. वित्तीय वर्ष 2025 की स्थिति में संस्था ऐसी दो निधियों का प्रबंधन करती है—नैबवेंचर्स निधि I (फ़्लैगशिप निधि) और एग्री-श्योर निधि.

नैबवेंचर्स लिमिटेड की प्रमुख निधि नैबवेंचर्स निधि I ने ₹598 करोड़ के कॉर्पस के साथ वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान अपने संपूर्ण निवेश योग्य कॉर्पस का सफलतापूर्वक उपयोग किया. इस निधि ने अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों में से एक से आंशिक निकासी प्राप्त की है, जिस पर निवेशित पूँजी का 4.7 गुना प्रतिफल मिला है. 31 मार्च 2025 तक निधि के तहत संचयी प्रतिबद्धताएँ ₹571.9 करोड़ थीं.

3 सितंबर 2024 को शुरू की गई एग्री-श्योर निधि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ श्रेणी II के अंतर्गत पंजीकृत एआईएफ़ है, जिसका कुल कॉर्पस ₹750 करोड़ है. इसमें कृषि और किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार तथा नाबार्ड से ₹250 करोड़ का योगदान शामिल है. शेष ₹250 करोड़ अन्य संस्थागत निवेशकों से जुटाए जा रहे हैं.

एग्री-श्योर निधि के दो घटक हैं:

- एग्री-श्योर-फंड ऑफ फंड्स (एफ़ओएफ़) योजना: ₹450 करोड़ के कॉर्पस के साथ यह योजना स्टार्टअप में ऑनवर्ड निवेश के लिए एआईएफ़ को वित्तीय सहायता प्रदान करती है.

- एग्री-श्योर-डायरेक्ट योजना: यह योजना ₹300 करोड़ के कॉर्पस के साथ कृषि और ग्रामीण विकास में शामिल प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप में प्रत्यक्ष निवेश पर ध्यान केंद्रित करती है.

इस निधि का समग्र उद्देश्य है - 10 वर्ष की अवधि में लगभग 85 स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करना.

नैबवेंचर्स निधि I का निम्नलिखित व्यवसायों पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा है:

- होमविल: यह कंपनी आवास वित्त के लिए ऋण नेटवर्क और डिजिटल आधारभूत संरचना का निर्माण करती है. भारत हाउसिंग नेटवर्क के माध्यम से यह 17 राज्यों और 500 से अधिक शहरों में 45 एचएफसी और एनबीएफसी को सहायता प्रदान करती है, जिससे 8,000 से अधिक व्यक्तियों को लाभ मिलता है. उल्लेखनीय है कि 60% ऋण ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं.
- एगोज़: एगोज़ एक उपभोक्ता ब्रांड है जो अंडे और अंडे से बने उत्पाद बेचता है. इसने किसानों से प्रत्यक्ष खरीद करके किसानों की आय में 30% की वृद्धि की है. यह कंपनी उत्तर भारत के 15 शहरों और चुनिंदा महानगरीय क्षेत्रों में कार्य करती है.
- एड्वारिस्क: यह बैंकों के लिए एक बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) धोखाधड़ी का पता लगाने वाला प्लेटफॉर्म है जो पूरे भारत में भूमि रिकॉर्ड को मानकीकृत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (एआई/ एमएल) का उपयोग करता है. यह 4 करोड़ से अधिक संपत्तियों के अखिल भारतीय डेटाबेस का प्रबंधन करता है, जो 95% एआई सटीकता के साथ 50 से अधिक वित्तीय संस्थानों को सेवा प्रदान करता है.
- जय किसान: यह एक ग्रामीण वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) मंच है जिसने दक्षिण, पश्चिम और मध्य भारत के 11 राज्यों के 8 लाख किसानों को ₹7,500 करोड़ की ऋण सुविधा प्रदान की है.
- विलकार्ट: किराना दुकानों को आपूर्ति करने वाले ग्रामीण आपूर्ति शृंखला मंच विलकार्ट ने 5 राज्यों में 87,000 खुदरा दुकानों तक पहुँच बनाकर और 43.6 लाख से अधिक परिवारों को लाभ पहुँचाते हुए ₹1,000 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है.
- उन्नति: कृषि निविष्टियाँ और सेवाएँ प्रदान करने वाला फिनटेक-एनेब्ल्ड एग्रीटेक प्लेटफॉर्म—उन्नति—181 जिलों में 70,161 खुदरा दुकानों के माध्यम से 22.2 लाख किसानों को जोड़ता है. नैबवेंचर्स निधि I ने प्रतिबद्ध पूँजी के 4.7 गुना पर इस निवेश से आंशिक निकासी प्राप्त की.
- बियॉन्ड स्नैक: एक प्रीमियम केला चिप्स ब्राण्ड जो स्थानीय किसानों से नेन्द्रन केले प्राप्त करता है. बियॉन्ड स्नैक किसान समूहों को सहयोग प्रदान करता है और मूल्यवर्धित खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से ग्रामीण रोजगार का सृजन करता है.

नैबफाउंडेशन

नैबफाउंडेशन ने वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान आजीविका सृजन, संधारणीय कृषि और ग्रामीण विकास, प्राकृतिक संसाधन और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, लैंगिक संवेदीकरण, कौशल और क्षमता विकास, और डिजिटलीकरण के माध्यम से वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई पहलें की हैं.

वर्ष के दौरान नैबफाउंडेशन को नाबार्ड और इसकी सहायक संस्थाओं तथा कॉर्पोरेट भागीदारों से शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन और आजीविका सृजन के विषयगत क्षेत्रों में ₹15.8 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय सहित छह परियोजनाओं के लिए मंज़ूरी मिली.

वर्ष के दौरान कार्यान्वित या कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं से 71 स्वयं-सहायता समूहों, 101 उत्पादक कंपनियों, 35 कारीगरों और 500 से अधिक जनजातीय परिवारों सहित 1 लाख से अधिक ग्रामीण आबादी को लाभ मिला. ये सहयोग 571 जिलों - जिनमें 81 आकांक्षी जिले शामिल थे - और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य और कई संघ राज्य क्षेत्रों में किए गए.

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान कार्यान्वित या कार्यान्वित की जा रही चुनिंदा परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **क्लिक रामेश्वरम**: डिजिटल पर्यटन संवर्धन के माध्यम से स्थानीय कारीगरों और युवाओं हेतु आजीविका अवसरों का सृजन; 4 लाख से अधिक व्यक्तियों ने जियोटैग किए गए अपनी ज़रूरत के बिंदुओं को एक्सैस किया.
- **पशु स्वास्थ्य और चारा सुधार**: कोल्हापुर के पारागाँव में 100 किसानों के लिए पशुधन उत्पादकता में वृद्धि.
- **स्कूल शिक्षा सुविधा**: शिक्षा परिवेश में उन्नति के माध्यम से बहुविध राज्यों के आठ स्कूलों में आधारभूत संरचना में परिवर्धन.

- **उद्यमिता और सहयोग के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय को सशक्त बनाना (ईंट्रेसेस)**: मोबाइल कैफेटेरिया इकाई के माध्यम से तमिलनाडु के तिरुपुर में ट्रांसजेंडर समुदाय का आजीविका संवर्धन.
- **यात्री इको-सैनिटेशन एंड हाइजीन (येश)**: तमिलनाडु के धनुषकोडी में पे-एंड-यूज़ स्वच्छता सुविधा का निर्माण और परिचालन, जिससे ₹3.5 लाख का कारोबार हुआ.
- **ग्रामीण जल संसाधनों की आश्वस्ति और पर्यावरण हेतु सिंचाई टैंकों की बहाली (रीऐश्योर)**: मदुरै (तमिलनाडु) और महाराष्ट्र के जिलों में सिंचाई की आधारभूत संरचना में सुधार.
- **कुपोषण से बचाव**: छत्तीसगढ़ के जशपुर में कुपोषण के बारे में जागरूकता सृजन और किचन गार्डन का संवर्धन, जिससे 300 से अधिक जनजातीय परिवारों को लाभ मिला.
- **स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम**: 1,000 स्कूलों में लघु मृदा स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना, जिससे 35,000 मृदा नमूनों का परीक्षण किया जा सकेगा और उन्हें सरकार के मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल (www.soilhealth.dac.gov.in) पर अपलोड किया जा सकेगा.
- **जैसलमेर जल सुरक्षा**: राजस्थान के जैसलमेर में 10 गाँवों में वर्षाजल संचयन संरचना का निर्माण; निर्माण कार्य जारी है.
- **प्रशिक्षण-सह-कृषि-प्रसंस्करण केंद्र**: कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के सात जिलों में केंद्रों की स्थापना.
- **मूलभूत सर्वेक्षण**: बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में परियोजना ग्रामों के लिए कृषि क्षेत्र में प्रभावी सहयोग डिज़ाइन करने के लिए.
- **निर्मल जल 2.0**: राजस्थान के अलवर के 10 गाँवों के लिए स्वच्छ किफायती पेयजल सुविधा की स्थापना.

नैबसंरक्षण

नैबसंरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड (नैबसंरक्षण) नाबार्ड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जिसकी स्थापना नवंबर 2020 में ऋण गारंटी निधियों का प्रबंधन करने के लिए की गई थी, और जिसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता क्षेत्रों में संस्थागत वित्त के प्रवाह को बढ़ाना है. कंपनी लक्षित ऋण गारंटी के माध्यम से संधारणीय और समावेशी कृषि और ग्रामीण विकास को सहयोग प्रदान करती है.

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान नैबसंरक्षण ने दो प्रमुख ऋण गारंटी निधि न्यासों - किसान उत्पादक संगठनों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (एफपीओ ट्रस्ट) तथा पशुपालन और डेयरी के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (एएचडी ट्रस्ट) - का प्रबंधन किया.

वित्तीय वर्ष 2025 में ऋण देने वाली 97 पात्र संस्थाओं (ईएलआई) को एफपीओ ट्रस्ट के अंतर्गत शामिल किया गया. 31 मार्च 2025 तक संचयी रूप से कुल 3,054 ऋण गारंटियाँ जारी की गईं, जिसमें ₹666.7 करोड़ की राशि के ऋण शामिल हैं और 2,259 किसान उत्पादक संगठनों और 21.8 लाख किसानों को लाभ हुआ है. ट्रस्ट ने BBB और उससे ऊपर की रेटिंग वाली एनबीएफसी, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों को शामिल करने के लिए अपने पात्रता मानदंडों का विस्तार किया.

एएचडी ट्रस्ट के तहत 31 मार्च 2025 तक संचयी रूप से छह ऋण गारंटियाँ जारी की गईं, जिसमें ₹113.6 करोड़ के ऋण शामिल हैं. पशुपालन आधारभूत संरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) योजना को वित्तीय वर्ष 2026 तक बढ़ाया गया है और अब एएचडी के लिए ऋण गारंटी योजना का विस्तार किया गया है ताकि पात्र ऋणदाता संस्थाएँ (ईएलआई), जैसे कि राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एनसीडीसी), नाबार्ड और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और डेयरी सहकारी समितियों, को पात्र उधारकर्ताओं के रूप में शामिल किया जा सके. इसके अलावा एएचडी ट्रस्ट के तहत मत्स्यपालन और जलचर पालन के लिए ऋण गारंटी योजना भी शुरू की गई तथा इस योजना के तहत 4 ईएलआई को शामिल किया गया है.

नैबसंरक्षण, गारंटी की पूरी अवधि की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और डिजिटल बनाने के लिए सक्रिय रूप से एक व्यापक ऋण गारंटी प्रबंधन प्रणाली (सीजीएमएस) विकसित कर रहा है.

वर्ष के दौरान, कंपनी ने पालघर, महाराष्ट्र में शैक्षणिक सुविधाओं में सुधार के लिए एक परियोजना पूरी की तथा कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में एक प्रशिक्षण-सह-कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना के लिए निधियाँ आबंटित की गईं.

भविष्य की ओर देखते हुए नैबसंरक्षण निम्नलिखित बिन्दुओं पर बल दे रहा है:

- एकीकृत ऋण गारंटी पोर्टल शुरू करना,
- योजना कवरेज का विस्तार करना और मौजूदा योजनाओं में सुधार करना,
- आधार स्तरीय संस्थाओं को ऋण प्रवाह की वर्धित सुविधा प्रदान करना,
- नई योजनाओं को शामिल करना और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) तक पहुँच का विस्तार करना, और
- विकास में सहयोग प्रदान करने के लिए आंतरिक मानव संसाधन क्षमता को सुदृढ़ करना.